

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अगिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 117/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/191

प्रार्थीगण

बनाम

विप्राथीगण

1. बाबुलाल पुत्र अमराराम
2. राणाराम पुत्र अमराराम
3. गुमनाराम पुत्र अमराराम
जाति जाट निवासी ग्वालानाड़ा
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा
4. सोगाराम पुत्र अमराराम
जाति जाट निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा


1. अण्णाकंवर पत्नि राणसिंह
2. गुलाबकंवर पत्नि अमरसिंह
3. अमरसिंह पुत्र नाथुसिंह
4. गमताकंवर पत्नि महेन्द्रसिंह
5. राणसिंह पुत्र नाथुसिंह
6. गजोसिंह पुत्र अचलसिंह
जाति राजपूत
निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा
7. हरचंद्रराम पुत्र खानूराम
8. दलाराम पुत्र खानूराम
9. सवाईराम पुत्र नरसींगाराम
जाति भील निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा
10. ओमाराम पुत्र भलाराम
11. कालुराम पुत्र भलाराम
12. खमादेवी पत्नि मूलाराम
13. बीजाराम पुत्र भलाराम
14. मंगलीदेवी पत्नि कालूराम
15. मानाराम पुत्र भलाराम
16. विजाराम पुत्र भलाराम
17. वीरमाराम पुत्र भलाराम
18. शैतानराम सारण पुत्र विजाराम
19. सजकीदेवी पत्नि मानाराम
20. हरीश चौधरी पुत्र विजाराम
जाति जाट निवासी भाण्डू खुर्द
तहसील धवा, जिला जोधपुर
21. रूघाराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट
निवासी ग्राम पाल, थोरीयों की ढाणी
तहसील लूणी, जिला जोधपुर



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा



22. अलीयाकंवर पत्नि अमरसिंह
23. कमलाकंवर पत्नि इन्द्रसिंह
24. गणपतसिंह पुत्र खिमसिंह
25. चूहाकंवर पत्नि मगसिंह
26. दुर्गसिंह पुत्र खिमसिंह
27. धापूकंवर पत्नि खीमसिंह
28. पीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
29. बलवंतसिंह पुत्र अमरसिंह
30. भैरूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
31. भंवरसिंह पुत्र मगसिंह
32. भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह
33. भंवरसिंह पुत्र भिमसिंह
34. मनोहरसिंह पुत्र अमरसिंह
35. मूलसिंह पुत्र सवाईसिंह
36. माधोसिंह पुत्र तखतसिंह के वारिसान
- 36/1. तेजसिंह पुत्र माधोसिंह
- 36/2. कनुसिंह पुत्र माधोसिंह
37. मानसिंह पुत्र सवाईसिंह
38. मीठाकंवर पुत्री विशनसिंह
39. मोतीसिंह पुत्र तखतसिंह के वारिसान
- 39/1. खंगारसिंह पुत्र मोतीसिंह
- 39/2. कल्याणसिंह पुत्र मोतीसिंह
- 39/3. नरपतसिंह पुत्र मोतीसिंह
40. रतनकंवर पत्नि विशनसिंह
41. रतनसिंह पुत्र अमरसिंह
42. शंभुसिंह पुत्र राणसिंह
43. श्रवणसिंह पुत्र अमरसिंह
44. सुरजकंवर पत्नि माधोसिंह
45. सायरकंवर पत्नि मोतीसिंह
46. हुकमसिंह पुत्र राणसिंह
47. हेंमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
48. तेजसिंह पुत्र राणसिंह
49. मदनकंवर पत्नि विरदसिंह
50. विरदसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत
51. सोनाराम पुत्र हड़मताराम


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जाति जाट निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा
52.अनीता पत्नि रमेश

53.निरमा पत्नि जगाराम जाति जाट
निवासी-सादो का वारा,नंदवान जोधपुर
तहसील लुणी, जिला जोधपुर

54.आदुराम पुत्र रूपाराम

55.ओमाराम पुत्र रूपाराम के वारिसान

55/1.मुन्नाराम पुत्र ओमाराम

55/2.प्रकाश पुत्र ओमाराम

56.गोगादेवी पुत्री रूपाराम

57.जमनादेवी पुत्री रूपाराम

58.मोटाराम पुत्र रूपाराम

59.वागाराम पुत्र हड़मताराम के वारिसान

59/1.हेमाराम पुत्र वागाराम

59/2.चौथाराम पुत्र वागाराम

59/3.गोदाराम पुत्र वागाराम

जाति जाट निवासी भाटेलाई

तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

60.नेमाराम पुत्र रूपाराम

61.राजुराम पुत्र रूपाराम

62.लालाराम पुत्र रूपाराम

63.सोनाराम पुत्र हड़मताराम

64.हुक्माराम पुत्र हड़मताराम

जाति जाट निवासी घड़सी का बाड़ा

तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा

65.उतमसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत

निवासी घड़सी का बाड़ा

तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा


66.सरपंच/सचिव, ग्राम सरवड़ी,

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

67.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

कल्याणपुर




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपस्थिति-

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश


दिनांक 22.7.24

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम घड़सी का बाड़ा,तहसील कल्याणपुर की प्रार्थी 01 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 364/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 363/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या 03 व 04 की खातेदारी खेत संख्या 205/79 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः ग्राम घड़सी का बाड़ा,तहसील कल्याणपुर की प्रार्थी 01 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 364/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 363/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या 03 व 04 की खातेदारी खेत संख्या 205/79 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घड़सी का बाड़ा,तहसील कल्याणपुर की प्रार्थी 01 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 364/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 363/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या 03 व 04 की खातेदारी खेत संख्या 205/79 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घड़सी का बाड़ा,तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 364/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर,खसरा संख्या




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

363/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर एवं संख्या 205/79 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम घड़सी का बाड़ा, तहसील कल्याणपुर की प्रार्थी 01 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 364/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 363/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या 03 व 04 की खातेदारी खेत संख्या 205/79 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:


1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.12.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है, ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रकरण का निष्कारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के अस्तित्व में होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण की प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है, यदि आपत्ति होती तो उजर-एतराज पेश करते, लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम घड़सी का बाड़ा, तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 364/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर,


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 363/206 क्षेत्रफल 4.4637 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 205/79 क्षेत्रफल 8.9354 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।



(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22-7-24 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा